न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
18/21	21.01.2021	20.10.2021

उनवान

1. जमशेद पुत्र इलियास जाति मेव निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
2. साहुन पुत्र इलियास जाति मेव निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
3. मुबीन पुत्र हसमल जाति मेव निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1. श्री सुभाष चन्द वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

–:निर्णयः–

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास के आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 3बीघा 07 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 781 रकबा 3–07 बिस्वा से पैमूद हुए है। जो वाद पत्र मे विवादित आराजी है।

आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास पर मिन वादी सख्या 1 व 2 के पिता एवं वादी सख्या 3 स्वयं अर्से दराज से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है मौके पर हम वादीगण ही कब्जा काश्त है गैरखातेदारान का मुतनाजा आराज से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है। मिन वादी सख्या 1 व 2 के पिता एवं वादी सख्या 3 स्वयं आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जर्ये वसीयत पत्र दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

10.01.1990 को खानचन्द पुत्र पिजादाराम निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास से प्राप्त हुई है खानचन्द पुत्र पिजादाराम द्वारा साबिक आराजी खसरा नम्बर 781 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा वो ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जर्ये बयनामा दिनांक 12.06.1972 के द्वारा धुन्धा, बन्शी पुत्रान वजीरचन्द जाति मेवान निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास से खरीद किया है जिस बैयनामा मे वक्त खरीद एक शपथ पत्र राजस्व रिकार्ड के खातेदार शरीफखां, दल्ला, ईसब पि0 खैराती सा. कोलगांव तहसील किशनगढबास ने इस आशय का पेश किया है ,, आराजी खसरा नम्बर 781 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास पर हमने अपना कब्जा छोड दिया है इन नम्बरान पर हमारा कब्जा नही है इस पर आराजी खसरा नम्बर 781 पर बंशी, धुन्धा पि0 वजीर जाति मेवान निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास का कब्जा है जो इनकी ही आराजी है इनको हमने छोड दी है आयन्दा हमारा कब्जा काश्त से कोई वास्ता नही रहेगा,,जिस हल्फनामा पर वक्त पंजीयन बैयनामा तहसीलदार किशनगढबास द्वारा तस्दीक किया गया है।

राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदारान का अंकन खिलाफ कब्जा खिलाफ रिकार्ड दर्ज हुआ है जबकी गैरखातेदारान का तो सन 1972 से आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा है। विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 781 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास सम्वत 2016 मे खैराती खातेदार मजकूर काश्त सीब्बा पुत्र खुद दर्ज रिकार्ड है। तथा सम्वत 2020 की जमाबन्दी के साबिक रिकार्ड 781 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा पर खैराती पुत्र अशरफ सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा सम्वत 2029 भू. प्रबन्ध विभाग हाल खसरा नम्बर 554 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा पर खैराती पु अशरफ कोम मेव सा. देह पटटेदार गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदार से गैर खातेदार दर्ज किया गया है वो खिलाफ रिकार्ड एवं न्याय सिद्वान्तो के विपरित दर्ज हुआ है विवादित आराजी हम वादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है विवादित आराजी पर गैरखातेदारान का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है ना ही काबिज काश्त है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावेः–

अ– डिकी इश्तकराहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 0.85 हे.वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास के काबिज काश्त खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड मे जो गैर खातेदारान के नाम का अंकन हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादी सख्या 1 व 2 निस्फ भाग एवं वादी सख्या 3 निस्फ भाग का खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

ब– खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

स–दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादीगण बख्सी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया । प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने बिन्दुवार जबाब दावा पेश कर कोई आपत्ति वाद पत्र से जाहिर नही की है। तथा वाद के जैरकार रहते हुए विवादित आराजी पर कब्जा काश्त बाबत रिपोर्ट तहसील किशनगढबास से चाही गई । तहसीलदार किशनगढबास के पत्र कमाक /भू.अ./2021/3146 दिनांक 30.09.21 के द्वारा रिपोर्ट बाबत विवादित आराजी कब्जा काश्त प्राप्त हुई । मुताबिक रिपोर्ट वाके ग्राम कोलगावं मे उक्त आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 0.85 हे. पर साहुन, जमशेद पुत्रान इलियास मेव हि. 1/2 तथा मुबीन पुत्र हसमल मेव हि. 1/2 पर काबिज है तथा मौके पर बाजरा व प्याज की फसल उक्त काश्तकारो द्वारा बोई गई है।

वकील वादीगण ने साक्ष्य के रूप मे शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 साहुन , पी.डब्ल्यू 2 अर्जुनसिह शपथ पत्र पेश किये। पी.डब्ल्यू 1 प्रदर्श कलमबद्व कराये गये। प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 , प्रदर्श 2 नामान्तकरण सख्या 6 सम्वत 2033 , प्रदर्श 3 नामान्तकरण सख्या 5 सम्वत 2033, प्रदर्श 4 जमाबन्दी सम्वत 2004, प्रदर्श 5 जमाबन्दी सम्वत 2020, प्रदर्श 6 नामान्तकरण सख्या 1402 , प्रदर्श 7 बैयनामा भूमि दिनांक 12.06. 1972 , प्रदर्श 8 फोटो प्रति वसीयतनामा दिनांक 10.01.1990 पेश किये है।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी गई । वकील वादीगण ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण को डिकी किया जाकर हकूक खातेदारी अधिकारी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार प्रदत्त किये जाने निवेदन किया । वकील वादीगण अवगत कराया कि विवादित आराजी पर मुताबिक रिपोर्ट कब्जाकाश्त तहसीलदार किशनगढबास के अनुसार वादीगण सख्या 1व 2 का 1/2 भाग एवं वादी सख्या 3 का 1/2 भाग पर कब्जा काश्त है तथा बाजरा व प्याज की फसल बोई हुई है इसलिए वादीगण श्रीमान न्यायालय मे कब्जा सिद्व करा हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

हमने वकील वादीगण की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 मे हाल खसरा नम्बर 554 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 781 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम कोलगांव है। प्रदर्श 2 जो सम्वत 2033 नामान्तकरण सख्या 6 है जिसमे खैराती पुत्र अशरफ कौम मेव सा. देह पटटेदार गैर खातेदार का नामान्तकरण फोतगी खैराती के उनके वारिसान फजरूखां, हारूनखा पि0 अब्दुल्ला इसब, शरीफखां पि0 खैराती मेव सा. देह पटटेदार गैरखातेदार मे नाम का अंकन खसरा नम्बर 554 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम कोलगांव मे हुआ है प्रदर्श 7 जो बयनामा दिनांक 12.06.72 है जिसमे विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 781 वाके ग्राम कोलगांव खानचन्द पुत्र पिजादाराम निवासी कोलगांव तहसील किशगनढबास ने धुन्धा, बन्शी पि. वजीर मेव निवासी कोलगांव से कय किया है जिसके साथ एक शपथ पत्र सम्वत 2033 मे प्रदर्श 2 मे दर्ज गैरखातेदारान द्वारा शपथ पत्र वक्त बयनामा कब्जे बाबत पेश किया । प्रदर्श 4 जो वसीयतनामा खानचन्द

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

पुत्र पिजादाराम दिनांक 10.01.1990 की है जो वादीगण 1 व 2 के पिता एवं वादी सख्या 3 को तहरीर की है। हाल राजस्व रिकार्ड मे पूर्व के गैरखातेदार अब्दुल्ला , इसब व शरीफ के वारिसान दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रिपोर्ट कब्जा तहसीलदार के पत्र क्रमाक /भू.अ./2021/3146 दिनांक 30.09.21 के द्वारा वाके ग्राम कोलगावं मे उक्त आराजी खसरा नम्बर 554 पर साहुन, जमशेद पुत्रान इलियास मेव हि. 1/2 तथा मुबीन पुत्र हसमल मेव हि. 1/2 पर काबिज है तथा मौके पर बाजरा व प्याज की फसल उक्त काश्तकारो द्वारा बोई गई है। जिससे यह बाखूबी सिद्व होता है कि आराजी का वादीगण सख्या 1 व 2 के पिता एवं वादी सख्या 3 स्वयं को अवैध हस्तानान्तरण हुआ है मुताबिक रिपोर्ट वादीगण का ही कब्जा काश्त है इसलिए हम वादीगण को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार आराजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क, शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकारी प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है। अतः वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश है:–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 0.85 हे. वाके ग्राम कोलगांव का वादीगण सख्या 1 व 2 को 1/2 भाग एवं वादी सख्या 3 को 1/2 भाग का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादीगण द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार आराजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क 4000रू. प्रतिबीघा एवं शास्ती 2000 रू. प्रतिबीघा जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
18/21	21.01.2021	20.10.2021

पर्चाडिकी

उनवान

1. जमशेद पुत्र इलियास जाति मेव निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
2. साहुन पुत्र इलियास जाति मेव निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
3. मुबीन पुत्र हसमल जाति मेव निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1–श्री सुभाष चन्द वकील वादीगण की और से।

2–प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 0.85 हे. वाके ग्राम कोलगांव का वादीगण सख्या 1 व 2 को 1/2 भाग एवं वादी सख्या 3 को 1/2 भाग का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादीगण द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार आराजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क 4000रू. प्रतिबीघा एवं शास्ती 2000 रू. प्रतिबीघा जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रारूप सख्या
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	राजस्व वाद जमशेद बनाम सरकार मु.न.18/21 निर्णय दिनांक 20.10.2021
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	जमशेद ,साहुन पुत्रान इलियास जाति मेव निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास 1/2 हिस्सा मुबीन पुत्र हसमल जाति मेव निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास 1/2 हिस्सा
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा नम्बर 554 रकबा 0.85 है. वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास किस्म बारानी ए
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई। मय राशि जमा होने का चालान नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 54787681 से राशि 13600रू.(तेरह हजार छःसो रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 54787712 से राशि 6800 रू.(छः हजार आठ सो रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज समस्त गैरखातेदारान के हिस्से पर जारी की गई।

(ओमप्रकाश सहारण) O/C
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कमाक/सम/2021/ 1202-6

दिनांक :– 28.10.2021

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री जमशेद , साहुन पुत्रान इलियास , मुबीन पुत्र हसमल जाति मेव निवासी कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण) O/C
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)